भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5607

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

**निःशुल्क कानूनी सहायता सेवा**

**5607. श्री तेजस्वी सूर्या :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कानूनी सहायता प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं और जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों का कार्यकरण कैसा है ;

(ख) देशभर में डीएसएलए और एसएलएसए में पैनलबद्ध अथवा सेवा प्रदान करने वाले अधिवक्ताओं की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) देशभर में राज्यवार कितने मामलों में वे पैरवी कर रहे हैं और कितने मामलों में उन्होंने मुवक्किलों की पैरवी की है ;

(घ) क्या दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाओं का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) हाशिए पर रहने वाले समुदाय उक्त सेवाओं के बारे में जागरूक हों और इन तक पहुंच सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);**
**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

**(क) :** सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) की स्थापना की है, जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) उच्चतम न्यायालय में कार्य करती है, जबकि 38 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी), 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए), 708 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और 2439 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएलएससी) हैं। सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरणों/ संस्थाओं के कार्यकरण के लिए सहायता अनुदान प्रदान करती है। विधिक सेवा प्राधिकारियों के कार्यनिष्पादन की मानीटरी करने के लिए, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है जिसमें किसी विशेष मास में किए गए सभी कार्यकलापों पर विशेष बल दिया जाता है। तत्पश्चात्, एनएएलएसए द्वारा मासिक आधार पर अंतिम कार्यकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है ।मासिक कार्यकलाप रिपोर्ट के अलावा, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है ।इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए नालसा द्वारा अखिल भारतीय और प्रादेशिक बैठकों का भी आयोजन किया जाता है। भारत सरकार नालसा के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अर्थात; विधिक सहायता रक्षा परामर्शी प्रणाली (एलएडीसीएस) स्कीम भी कार्यान्वित कर रही है ।एलएडीसीएस स्कीम के अधीन, एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सहायता हेतु पात्र फायदाग्राहियों को ही दांडिक मामलों के संबंध में विधिक सहायता प्रदान की जाती है। एलएडीसीएस स्कीम का उद्देश्य दांडिक न्यायालय आधारित विधिक सेवाओं को सुदृढ़

करना और विचारण और अपील चरणों पर सभी दांडिक मामलों में फायदाग्राहियों को विधिक सेवाएं प्रदान करना है। 31 दिसंबर 2024 तक, देश भर के 654 जिलों में एलएडीसी कार्यालय क्रियाशील हैं और इसमें 3448 रक्षा परामर्शियों सहित 5251 कर्मचारिवृन्द नियोजित हैं ।वर्ष 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान, एलएडीसीएस कार्यालयों ने 3.95 लाख से अधिक दांडिक मामलों का निपटारा किया है ।

**(ख) और (ग) :** अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान देश भर में विभिन्न एसएलएसए और डीएसएलए में पैनल में सम्मिलित या सेवाएं प्रदान करने वाले पैनल अधिवक्ताओं के और जिन मामलों में वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश भर में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-क** पर हैं।

**(घ) और (ङ) :** एलएसए अधिनियम, 1987 की धारा 12 दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश भर में हकदार व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं का उपबंध करती है। विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा बच्चों, श्रमिकों, आपदा के पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, निःशक्त व्यक्तियों आदि से संबंधित विभिन्न विधियों/स्कीमों पर देश भर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण विभिन्न विधियों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पत्रिकाएं भी तैयार करती है ।वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित 12,49,496 और 1,26,966 विधिक जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः लगभग 13.93 करोड़ और 3.06 करोड़ व्यक्तियों ने भाग लिया।

**********

**उपाबंध -क**

**निःशुल्क विधिक सहायता सेवाएं से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5607 जिसका उत्तर तारीख 04.04.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।**

**अप्रैल, 2024 से दिसंबर, 2024 के दौरान देश भर में विभिन्न एसएलएसए और डीएसएलए में पैनल में सम्मिलित या सेवाएं प्रदान करने वाले पैनल अधिवक्ताओं की संख्या और ऐसे मामले जिनमें वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश भर में मुवक्किल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम | पैनल अधिवक्ता | मुवक्किल/मामलों का प्रतिनिधित्व |
|---|---|---|---|
| 1 | अंदमान और निकोबार द्वीप | 36 | 159 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1,352 | 3,050 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 157 | 2,353 |
| 4 | असम | 601 | 14,874 |
| 5 | बिहार | 1,940 | 7,075 |
| 6 | चंडीगढ़ | 426 | 1,370 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 2,689 | 6,159 |
| 8 | दादरा और नागर हवेली | 6 | 32 |
| | दमण और दीव | 21 | 53 |
| 9 | दिल्ली | 1,617 | 35,031 |
| 10 | गोवा | 241 | 978 |
| 11 | गुजरात | 2,868 | 15,755 |
| 12 | हरियाणा | 1,019 | 13,975 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 415 | 4,166 |
| 14 | जम्मू-कश्मीर | 578 | 2,615 |
| 15 | झारखंड | 1,025 | 8,444 |
| 16 | कर्नाटक | 2,827 | 5,233 |
| 17 | केरल | 2,043 | 12,527 |
| 18 | लद्दाख | 13 | 86 |
| 19 | लक्ष्यद्वीप | 0 | 1 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 2,254 | 15,627 |
| 21 | महाराष्ट्र | 4,395 | 21,609 |
| 22 | मणिपुर | 226 | 311 |
| 23 | मेघालय | 152 | 1,740 |
| 24 | मिजोरम | 63 | 1,813 |
| 25 | नागालैंड | 77 | 532 |
| 26 | ओडिशा | 2,228 | 2,088 |
| 27 | पुडुचेरी | 352 | 469 |
| 28 | पंजाब | 689 | 23,330 |
| 29 | राजस्थान | 1,622 | 10,508 |
| 30 | सिक्किम | 153 | 693 |
| 31 | तमिलनाडु | 4,406 | 13,240 |
| 32 | तेलंगाना | 1,891 | 3,353 |
| 33 | त्रिपुरा | 336 | 1,141 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 2,476 | 2,448 |
| 35 | उत्तराखंड | 309 | 4,240 |
| 36 | पश्चिमी बंगाल | 3,189 | 15,387 |
| | कुल | **44,692** | **252,465** |

**********